अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - III

वित्तीय रिपोर्टिंग

उचित तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक सहज आन्तरिक वित्तीय रिपोटिंग प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो सामरिक योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल सुप्रंबधकता प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता करते है।

3.1 लेखाकंन मानको का अनुपालन

भारतीय संविधान की धारा 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के लेखों के फॉर्म निर्धारित कर सकते है। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानकों कों अधिसूचित किया है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2017-18 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया तथा इसमें कमियों को नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालन/कमी
1	**आईजीएएस 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां- प्रकटन आवश्यकताएं*	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 तथा 20)	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि, गारंटियों में वृद्धि, विलोप जैसी विस्तृत सूचना, प्रत्येक संस्थान हेतु गारंटियों के क्षेत्र तथा वर्ग को प्रस्तुत किये गये परन्तु प्रत्येक संस्थान के लिए गारंटियों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

2	**आईजीएएस 2:** *अनुदान सहायता का लेखांकन तथा वर्गीकरण*	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखों का विवरण 10)	(i) राजस्व भाग के तहत वर्गीकृत की जाने वाली कुछ अनुदान सहायता को पूंजीगत भाग के तहत वर्गीकृत किया गया है (ii) राज्य सरकार द्वारा संवेदनापूर्ण दी गई अनुदान सहायता के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2018)।
3	**आईजीएएस 3:** सरकार द्वारा निष्पादित ऋण एवं अग्रिम	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखों का विवरण 18)	राज्य सरकार द्वारा बकायों तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज की वसूलियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए।

स्रोत: भारत सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन

जम्मू एवं कश्मीर वित्त संहिता खण्ड-I के पैरा 7.10 के अनुसार, ऐसे बिल जिन्हें भुगतान के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, को संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर अग्रिम भुगतान के रूप में आहरित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को उस आगामी माह के अन्त तक डीसी बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें नियंत्रण अधिकारी के लिए एसी बिल को आहरित किया जाता है तथा नियंत्रण अधिकारी को इसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर महालेखाकार को प्रतिहस्ताक्षरित रूप में इसे प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(i) इसके विपरीत, 31 जनवरी 2018 तक विभिन्न आहरण तथा वितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा. एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को एसी बिलों पर आहरित 2,032 बिलो के अन्तर्गत ₹2,545.83 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.1)*** की कुल राशि के प्रति तदनुरूपी डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। शेष 2,032 एसी बिलों में से, ₹1,181.83 करोड़ के 1,854 बिल 2015-16 से संबंधित है, ₹34.08 करोड़ के 22 बिल 2016-17 से संबंधित है तथा ₹1,329.92 करोड़ के शेष 156 बिल वर्ष 2017-18 से संबंधित है। अधिकतर डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे (मार्च 2018) जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि (₹करोड़ में)	प्रतिशत
01	शिक्षा विभाग	1,049.96	41.24
02	ग्रामीण विकास विभाग	271.73	10.67
03	राजस्व विभाग	211.55	8.31
04	चिकित्सा विभाग	160.85	6.32
05	गृह विभाग	147.64	5.80
06	कृषि विभाग	133.79	5.26
07	उद्योग विभाग	82.97	3.26
08	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग	80.08	3.15

(ii) **इसके अलावा, 2017-18 के दौरान ₹2,112.91 करोड़ की राशि के 241 एसी बिलो को आहरित किया गया था जिसमें से केवल मार्च 2018 में ₹885.47 करोड़ (41.91 प्रतिशत) की राशि के 112 एसी बिल आहरित किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹139.32 करोड़ (15.73 प्रतिशत) की राशि के 21 एसी बिलो को आहरित किया गया था।** मार्च 2018 में आहरित ₹885.47 करोड़ की राशि के 112 एसी बिलों में से शिक्षा विभाग द्वारा ₹430.22 करोड़ (48.59 प्रतिशत) के 13 बिल, सहकारी विभाग द्वारा ₹255.71 करोड़ का एक बिल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग द्वारा ₹72.24 करोड़ के सात बिल, ग्राम तथा लघु उद्योगो द्वारा ₹26.50 करोड़ के 13 बिल तथा सामान्य आर्थिक सेवा विभाग द्वारा ₹18.45 करोड़ के चार बिल आहरित किए गए थे। **मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय यह दर्शाता है कि आहरण प्रमुख रूप से बजट प्रावधानों को खर्च करने के लिए थे तथा इससे अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का पता चलता है।**

मामलों को समय-समय पर निरन्तर सरकार/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है (जुलाई 2018)। राज्य वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में निर्देश जारी होने के बावजूद, डीडीओ ने महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को लंबित डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए।

दीर्घावधि में ऐसी अधिक राशि के लिए डीसी बिलों का प्रस्तुतिकरण न होना वित्तीय विनियम का उल्लंघन करता है तथा यह लोक निधि के गलत विनियोजन के जोखिम से भरा है तथा यह एक खराब व्यवस्था है। सरकार मौजूदा नियमावली के तहत अपेक्षित अनुसार अनुबंधित अवधि के अन्दर आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसे स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण जिनके पास स्वयं के पर्याप्त संसाधन नहीं है, की वित्तीय रूप से सहायता सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किए जाने के लिए सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करके की जाती है। राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रदान की गई जीआईए की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.3: राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	श्रीनगर नगर निगम	117.73	161.16	158.18	285.02	108.47
2	जम्मू नगर निगम	74.30	108.64	98.54	134.49	163.42
3	शहरी स्थानीय निकाय (कश्मीर)	74.49	87.36	56.03	1.95	105.17
4	शहरी स्थानीय निकाय (जम्मू)	36.97	62.94	76.65	69.61	76.29
5	एसकेयूएएसटी* – कश्मीर	80.92	100.54	132.18	166.75	94.62
6	एसकेयूएएसटी* – जम्मू	70.15	59.48	54.61	81.00	146.38
7	कश्मीर विश्वविद्यालय	82.60	114.67	156.80	145.84	160.00
8	जम्मू विश्वविद्यालय	74.08	76.14	85.80	124.00	137.00
9	जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	21.76	16.93	19.52	24.55	33.65
10	जम्मू-कश्मीर कला एवं संस्कृति अकादमी	14.31	17.16	15.18	23.97	24.29

11	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)	9.63	10.47	10.13	12.14	13.70
12	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	19.46	7.48	17.47	13.11	18.00
13	अन्य	134.37	446.28	641.59	646.72	1,673.12
	कुल	**810.77**	**1,269.25**	**1,522.68**	**1,729.15**	**2,754.11**

**शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/कश्मीर*
स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय नियमावली यह प्रावधान करती है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा गारंटियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त किया जाना चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात् अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो इन्हें उनकी संस्वीकृति की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

2017-18 के अन्त तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति:

31 मार्च 2018 तक प्रास्थिति

वर्ष	***बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र***	
	मदों की संख्या	***राशि (₹करोड़ में)***
2015-16 तक	527	1,654.31
2016-17	342	1,771.30
2017-18	545	3,259.58
कुल	**1,414**	**6,685.19**

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2018 तक ₹6,685.19 करोड़ सहित कुल 1,414 यूसी बकाया थे। बकाया 1,414 यूसी में से ₹1,771.31 करोड़ के 342 यूसी एक वर्ष से अधिक तक लम्बित थे तथा ₹1,654.31 करोड़ की राशि के 527 यूसी दो वर्षों से अधिक तक बकाया थे। अधिकतर बकाया यूसी शिक्षा विभाग (₹3,191.99 करोड़), आवासीय तथा शहरी विभाग (₹1,136.30 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (₹650.74 करोड़) से प्रतीक्षित है।

इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि धन को वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन हेतु व्यय किया गया था। यूसी का अधिक लम्बन निधियों के गलत विनियोग तथा धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

3.4 वार्षिक लेखों की प्रस्तुति न होना/विलम्ब से प्रस्तुति होना

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 14 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को 56 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन स्वायत्त निकायों से कुल 801 वार्षिक लेखें प्रतीक्षित थे जैसाकि 31 मार्च 2018 तक में विवरण दिया गया है ***(परिशिष्ट 3.2)***। लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखों की प्रस्तुति हेतु बार-बार इन निकायों के साथ मामलें पर चर्चा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखो की सत्यापन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19(3) तथा 20(1) के तहत की जाती है। उक्त धारा के अनुसार लेखापरीक्षा सीमा के अन्तर्गत आने वाली एबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। दस स्वायत्त निकाय जिन्हें सी एंड एजी को वार्षिक लेखे देने थे, के संदर्भ में, दो से 23 वर्षों के बीच विलंब था जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 3.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति न होना

(₹करोड़ में)

निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्षों में विलम्ब	लेखो की संख्या	2017-18 के दौरान अनुदान
लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद, लेह (एलएएचडीसी-एल)	23	23	278.31
लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद, कारगिल (एलएएचडीसी-के)	15	15	279.58
क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	09	09	शून्य
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएएसटी) कश्मीर	08	08	94.62

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएएसटी) जम्मू	02	02	146.38
ईपीएफ बोर्ड श्रीनगर	12	12	शून्य
जम्मू और कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	06	06	शून्य
खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	03	03	18.00
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	05	05	शून्य
राज्य कानून सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	03	03	6.94
कुल		**86**	**823.83**

भारत के सीएजी को लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह तथा एलएएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। एलएएचडीसी, लेह अपने आरंभ अर्थात् 1995-96 से लेखापरीक्षा हेतु लेखों को प्रस्तुत करने में विफल है तथापि, परिषद को अधिकतम राशि जारी की जा रही है तथा वर्ष के अन्त में अव्ययित बकायों का राज्य के लोक लेखे में गैर-व्यपगत निधि में क्रेडिट जारी रहा। यही स्थिति एलएएचडीसी, कारगिल के संबंध में भी है जो वर्ष 2004-05 से अस्तित्व में आया तथा इसके आरंभ से ही लेखे बकाया है। क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) ने भी अपने आरंभ अर्थात नवम्बर 2009 से लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किए है। इसी प्रकार, एसकेयूएएसटी, कश्मीर, एसकेयूएएसटी, जम्मू, ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर, केवीआईबी, बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी तथा एसएलएसए ने भी एक से बारह वर्षों की अवधि हेतु लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए है।

राज्य बजट से अधिक निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति न होना/विलम्ब से प्रस्तुति होना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस अननुपालन के संदर्भ में, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं किए गए है जैसाकि उन संविधियों के तहत अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत इन निकायों को बनाया गया था। लेखो को अंतिम रूप देने में विलम्ब/बकायों में पता न लगने वाली वित्तीय अनियमितताओं से जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और गलत विनियोग की संभावना बनाते है। इसने राज्य

विधानमंडल को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर फीडबैक प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है।

सरकार राज्य विधानमंडल को प्रस्तुति हेतु लेखो के समय पर निर्माण तथा प्रस्तुति के लिए निकायों के साथ मामले पर चर्चा कर सकती है।

3.5 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे तैयार करना अपेक्षित है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनकी सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को परिलक्षित करते है। लेखो को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों यदि कोई आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलम्ब धोखाधड़ी और लोक धन की लीकेज के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करे तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट समय सीमा में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करें। सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम है: (क) सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, श्रीनगर एवं जम्मू तथा (ख) ग्राहक मामला तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनो उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के प्रोफार्मा लेखे बकाया है। दो सरकारी प्रेसों ने 1968-69 से 2017-18 तक अपने प्रोफार्मा लेखे नहीं बनाए है (जुलाई 2018)। कश्मीर एवं लद्दाख डिवीजन में, विभागीय रूप से चल रही पीडीएस शॉप के साथ-साथ फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) द्वारा अर्थात् विभागीय शॉप के माध्यम से 55 प्रतिशत तथा एफपीएस के माध्यम से 45 प्रतिशत तक पीडीएस परिचालन किए गए है। **इन दो डिविजनों में 1975-76 (संशोधित लेखे) से 2017-18 (जुलाई 2018) तक प्रोफार्मा लेखे नहीं बनाए गए है। जम्मू डिवीजन में, पीडीएस परिचालन प्रमुख रूप से निजी डीलरों के नेटवर्क (लगभग 91 प्रतिशत) के माध्यम से है तथा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2017-18 तक प्रोफार्मा लेखे नहीं बनाए गए है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखो की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के अननुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।**

राज्य में पीएसयू के प्रोफार्मा लेखे की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-3.3 में दी गई है। 24 पीएसयू में से 20 पीएसयू के लेखे 1 से 21 वर्षों के बीच की अवधि हेतु अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे।

3.6 सरकारी लेखों में अपारदर्शिता

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करने पर विचार किया जाता है जब लेखो में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान न किया गया हो। बजटीय तथा लेखांकन के लिए लघु शीर्ष 800 के दैनिक परिचालन व्यय अथवा राजस्व के इसके उपयुक्त उद्देश्य के लिए प्राप्ति/व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना अस्पष्ट लेखे प्रदान करता है। **वर्ष 2017-18 के दौरन ₹48,511.88 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 9.07 प्रतिशत बनाते हुए लेखों के 39 राजस्व मुख्य शीर्षों के तहत ₹4,401.42 करोड़ (विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की बिक्री की वजह से ₹3,150.94 करोड़ की उस राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए जिसके लिए मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में कोई उपयुक्त लघु शीर्ष निर्धारित नहीं किया गया है) को लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, ₹51,269.37 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 11.58 प्रतिशत बनाते हुए 58 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹5,934.59 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुक किया गया था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकरण ने 2016-17 में 25.08 प्रतिशत से 2017-18 के दौरान 9.07 प्रतिशत तक सुधार किया परन्तु यह लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत 2016-17 में 11.08 प्रतिशत से 2017-18 में 11.58 प्रतिशत तक अधिक बदत्तर हुआ है। लघु शीर्ष '800' अन्य प्राप्तियों के तहत बुक अधिक राशि का वर्गीकरण लेखो में सही स्थिति नहीं दर्शाता।**

सरकार प्राप्त राशि तथा लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800 अन्य प्राप्तियों के तहत अधिक स्पष्टता के लिए मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों तथा व्यय को एकत्र करने के बजाय स्पष्ट रूप से विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए व्यय को दर्शाने पर विचार कर सकती है।

3.7 ठेकेदारों को अदत्त देयता

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की ₹2,098.06 करोड़ तक प्रतिबद्ध देयता में मुख्य निर्माण कार्य तथा ठेके (₹127.75 करोड़), भूमि अधिग्रहण प्रभार (₹879.23 करोड़) तथा कार्यों/आपूर्ति पर अप्रदत्त बिलों (₹1,091.08 करोड़) सम्मिलित है। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा निधियों का प्रावधान किए बिना ठेकेदार द्वारा कार्य करवा रही है तथा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा इस प्रकार, इसके फलस्वरूप इस लेखे पर देयता का सृजन हुआ।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मुद्दों के लिए कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू), स्वप्रेरित की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए प्रशासनिक विभागों को इस तथ्य के मद्देनजर जून 1997 में निर्देश जारी किए थे कि इन समितियों द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं। इन एटीएन को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पूर्ण रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त (एसएफआर) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से बनाया जा रहा था तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एसएफआर पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा किसी भी एसएफआर पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एसएफआर को 06 अप्रैल 2018 को अग्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य 20 जून 2018 से गवर्नर/राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है।

3.9 निष्कर्ष

31 जनवरी 2018 तक विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एसी बिलों पर आहरित कुल ₹2,545.83 करोड़ की राशि के प्रति, तदनुरूपी डीसी बिलों को महालेखाकार (लेखा. एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में स्थिति में 2016-17 की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई। 31 मार्च 2018 तक कुल ₹6,685.19 करोड़ की राशि वाले कुल 1,414 यूसी बकाया थें। 31 मार्च 2018 तक लेखापरीक्षा के लिए 56 स्वायत्त निकायों के कुल 801 वार्षिक लेखे वर्ष 1972-73 से 2017-18 तक के बीच प्रतीक्षित थे।

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखों की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के अननुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुक अधिक राशि का वर्गीकरण लेखों की सही स्थिति नहीं दर्शाता है।

सुशील

श्रीनगर/जम्मू
दिनांक 11 दिसम्बर 2019

(सुशील कुमार ठाकुर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

राजीव महर्षि

नई दिल्ली
दिनांक 26 दिसम्बर 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक